



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64592

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-5673 वर्ष 2026

प्रदीप प्रजापति एवं अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता:

बिपिन कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री बिपिन कुमार, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण की ओर से तथा श्री बी.पी. सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी की ओर से सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अधीन वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक प्रदीप प्रजापति एवं देवेंद्र की ओर से इस प्रार्थना के साथ योजित किया गया है कि विचारण के लंबित रहने के दौरान उन्हें मुकदमा अपराध संख्या-0460 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धाराओं 191(2),

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



191(3), 109(1), 132, 115(2), 351(2), 352, 324(5) एवं आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अधीन, थाना गांधी पार्क, जनपद अलीगढ़ में पंजीकृत मामले में जमानत पर रिहा किया जाए।

3. विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि 11 सह-अभियुक्त व्यक्तियों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है और सह-अभियुक्त वीरेंद्र सिंह @ वीरू को भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 4989 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 18.3.2026 द्वारा नियमित जमानत दी जा चुकी है। यह भी निवेदन किया गया है कि किसी भी आवेदक को कोई विशेष भूमिका नहीं सौंपी गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की गई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार व्यक्तियों के दो समूह कठोर एवं भोथरी वस्तुओं का उपयोग करते हुए आपस में मारपीट में लिप्त हो गए। आवेदकगण, जो 7.1.2026 से जेल में बंद हैं, वचन देते हैं कि यदि जमानत दी गई तो वे स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकगण की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है।

5. 11 सह-अभियुक्त व्यक्तियों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है और सह-अभियुक्त वीरेंद्र सिंह @ वीरू को भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-4989 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 18.3.2026 द्वारा नियमित जमानत दी जा चुकी है। यह भी निवेदन किया गया है कि किसी भी आवेदक को कोई विशेष भूमिका नहीं सौंपी गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की गई है तथा प्रथम सूचना

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रिपोर्ट के अनुसार व्यक्तियों के दो समूह कठोर एवं भोथरी वस्तुओं का उपयोग करते हुए आपस में मारपीट में लिप्त हो गए। आवेदकगण 7.1.2026 से जेल में बंद हैं।

6. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति एवं अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक-प्रदीप प्रजापति एवं देवेंद्र को उपरोक्त मुकदमा अपराध में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रुपये 50,000/- का निजी मुचलका एवं उसी राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

(ii) आवेदकगण अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेंगे/उन्हें डराएंगे नहीं।

(iii) आवेदकगण (i) मामले के प्रारंभ, (ii) आरोप-विरचन एवं (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अधीन बयान अभिलिखित करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

(iv) आवेदकगण एक वचनपत्र योजित करेंगे कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वे साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेंगे।

(v) आवेदकगण प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त करने के रूप में नहीं समझी जाएगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

25 मार्च 2026

कुमार मनीष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”